8/8/19	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 2/9/19 को पेश हो। (रीडर)
2/9/19	~~वकील उभय~~ पक्ष उप.। वकील अप्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 CPC की बहस हेतु अवसर चाहा है। पत्रावली दिनांक 13/9/19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
13/9/19	वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब दौरे पर है। पत्रावली आइन्दा गत आदेश की पालना हेतु दिनांक 20/9/19 को पेश हो।
20.9.19	पत्रावली आज पेश हुई। सकारात्मक जो आदेशात्मक बनाया जा सका। बाद आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 3.10.19 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
3.10.19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

विशेष वि

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :— 47/2017

उनवान

1. रफीक कुरैशी
2. इरफान कुरैशी
3. मैनु कुरैशी

} पि0 इकराम कुरैशी जाति मुसलमान नि. सारवान मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. अब्दुल शरीफ कुरैशी
2. अब्दुल सईद कुरैशी

} पि0 नजीर कुरैशी जाति मुसलमान नि. नि. सारवान मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन जिला कलक्टर, (कोटपुतली) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सं. 8 कोटपुतली जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक 03.10.2019

संस्थानिक प्रकरण में वादी के द्वारा वाद पत्र खातेदारी घोषणा बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया कि विवादित आराजी ख.नं. 1466 रकबा 0.14 है0 भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर स्थित है जो 1/2 हिस्सा वादीगण का पिता इकराम कुरैशी पुत्र नजीर कुरैशी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगान आदि जमा कराते आ रहे है। उक्त विवादित आराजी को वादीगण के पिता इकराम एवं प्रतिवादी सं. 2 ने शामिल मे खरीदी थी तथा डीड राईटर की गलती से विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम ही अंकित कर दिया गया।

वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं. 1 व 2 आपस में सगे भाई है। इकराम बड़ा था प्रतिवादी सं. 2 बीच का भाई है तथा प्रतिवादी सं. 1 छोटा भाई है। वर्ष 1993 में उक्त विवादित आराजी भूमि खरीद की जिसका विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराते समय गलती से अब्दुल शरीफ प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के साथ विक्रय पत्र गलत रूप से डीड राईटर की गलती से दर्ज करा दिया गया जबकि वास्तविक रूप से भूमि वाद ग्रस्त के हिस्सा 1/2 भाग का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 का क्रय दिन से रहा तथा 1/2 भाग का कब्जा वादीगण के पिता इकराम कुरैशी का क्रय दिन से ही उनके जीवनकाल तक रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का है। विक्रय पत्र मे नाम गलत इन्द्राज होने की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से दिनांक 27.11.1996 को इस गलती बाबत बात की तब प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इसे स्वीकार कर चौथमल कुम्हार से इसकी लिखावट लिखवाकर गवाह असगर, भंवरलाल गुर्जर, भगवान सहाय, अब्दुल सईद आदि के समक्ष लिखकर गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिये। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 27.11.1996 को वादीगण के पिता इकराम के पक्ष में एवं लिखावट सहमति पत्र लिख कर दिया है कि जो भूमि ख.नं. 1466 रकबा 0.14 है0 का ही है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने लिखा है कि भूमि आरा मशीन कारखाना में प्रतिवादी सं. 1 अब्दुल शरीफ का कोई लेना देना नही है तथा इसकी जमीन कारखाना जो वास्तविक रूप में भूमि व कारखाना की मशीने सभी प्रतिवादी सं. 2 एवं वादीगण की बराबर–बराबर संयुक्त रूप से इकजाही सम्पति में बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

... आपसी सहमति से वर्ष 2000 में बहमी बंटवारा कर उत्तरी भाग प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में तथा दक्षिणी भाग वादीगण के पिता के हिस्से में आया है। उक्त विवादित आराजी एन.एच.8 के टोल विस्तार के लिए अधिग्रहित की जा रही है जिसके 1/2 भाग के उत्तरी हिस्से में प्रतिवादी सं. 2 तथा अधिक भूमि अधिग्रहित पर वादीगण को धमकी दी कि उक्त आराजी से आपको बेदखल कर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करेंगे। इस कारण यह वाद पत्र विवादित आराजी में 1/2 भाग के खातेदारी अधिकारो की अपने पक्ष में घोषणा करवाने तथा बहमी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा करने हेतु व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु करने हेतु यह वादपत्र पेश किया गया है।

वाद पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने विधिवत प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी0 पेश होने पर विधिवत सुनवाई की जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी0 स्वीकार किया जाकर जवाब हेतु अवसर दिया गया। वकील प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिनांक 2.4.18 को प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी0 पेश कर जाकिर किया कि विवादित आराजी खं.न. 1466 रकबा 0.14 है0 भूमि में 150 वर्गमीटर भूमि वाणिज्य प्रयोजनार्थ, एवं शेष 1250 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन राशि अदा करने पर दिनांक 21.7.93 को संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया तथा जिसका नामान्तकरण सं. 3115 दिनांक 9.1.11 को जमाबन्दी सं. 2069 से 2072 में दर्ज किया गया है। व्यावसायिक संपरिवर्तन भूमि का ख.नं. 1466/1 रकबा 0.015 है0 तथा आवासीय भूमि का ख.नं. 1466/2 रकबा 0.1250 है0 कायम किया गया है। उक्त भूमि में टोल प्लाजा मनोहरपुर के विस्तार हेतू 600 वर्गमीटर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई है। प्रस्तुत वाद पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भी वाद चलने योग्य नहीं है तथा वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश किये जाने के समय व उसके पश्चात भूमि कृषि भूमि नहीं रही है बल्कि वाणिज्यिक एवं आवासीय भूमि के रूप में पूर्व में ही संपरिवर्तन हो चुकी है जिसके बाबत अदालत हाजा को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने प्रा0पत्र में यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी सं. 2 ने हाल ख.नं. 1466/1 व 1466/2 वाके ग्राम मनोहरपुर संपरिवर्तन भूमि के बाबत बंटवारा सम्पति व स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा के यहां वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 भी पक्षकार है इसलिए वाद पत्र कानून चलने लायक नही है बल्कि प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 का जवाब पेश कर अप्रार्थी वादी ने जाहिर किया कि आर.टी. एक्ट के प्रावधानुसार दावा न्यायालय हाजा में सुने जाने एव निर्णय किये जाने क अधिकारिता प्राप्त है खातेदारी भूमि की किस्म किसी भी प्रकार की होने के कारण दावा न्यायालय हाजा द्वारा सुने जाने में किसी प्रकार की भ्रान्ति कानून प्रावधान बाध्यकारी नहीं है। वकील अप्राथी/वादी ने यह भी जाहिर किया कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शाहपुरा में भूमि वादग्रस्त का दावा पेश करने से दावा हाजा न्यायालय में चलने में कोई कानूनी मनाही नहीं है। अन्त में जवाब प्रा0पत्र पेश किया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हित नही है उसने भूमि खरीदी नही है बल्कि विक्रय पत्र मे गलती से नाम लिखा जाने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 27.11.96 हो इस तथ्य को स्वीकार करने के कारण दावा घोषणा पेश किया गया है। भूमि की किस्म चाही–I होकर भूमि खातेदारी की रही है जिसका खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा न्यायालय हाजा को सुनने का पूरा–पूरा विधिक/कानून अधिकार आर.टी. एक्ट की व्यवस्थानुसार प्राप्त है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की प्रा0पत्र प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी वाद पत्र पेश करते समय 0.015 है0 वाणिज्यिक व 0.1250 है0 आवासीय संपरिवर्तन शुदा भूमि रही है, अकृषि भूमि होने से सुनने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा माननीय न्यायालय **ADJ** कोर्ट शाहपुरा में बंटवारा का दावा पेश किया है तथा भूमि विवादित आराजी में से 600 वर्गमीटर भूमि एन.एच.ए.आई. द्वारा अवाप्त की गई है, अवाप्त शुदा भूमि होने से सुनने का अधिकार नही है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 2 आपस में मिले हुऐ है तथा दावे को मनगढन्त कहानी बताई है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन मे निम्न दलीले पेश कर जाहिर किया कि वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे–

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

2016 (1) RRT 534 H.C.
2016 111 RRT 265 H.C.
2016 (2) RLT 1501 S.C.
2016 RBJ 441 S.C.
2018 RRD 19
2009–10 (Supp) RRT 333
2012 (1) RRT 293
2012 (1) RRT 332
2019 (2) RRT 863
2017 (2) RRT 1377

उक्त नजीरों की आरे ध्यान आकर्षित करवाकर वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने जाहिर किया कि विवादित आराजी की किस्म कृषि भूमि नहीं होकर वाणिज्यिक व आवासीय है जिनके सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं होने से प्रा0पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 27.11.96 को लिखित सहमति के आधार पर घोषणा का दावा पेश किया गया है जो साक्ष्य तथ्यों तनकीयात के आधार पर गुणावगुण के आधार पर दावा का निस्तारण किया जाना है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि दावे के सभी तथ्यो का तनकीयात कायम करके निर्णय पेश किया जाना चाहिए। वकील अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीरे पेश कर उनकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि वाद का निस्तारण वाद के तथ्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत तथा विवादक बिन्दुओं के आधार पर ही निस्तारण किया जावें।–

1. CPC O 7 R 11 पृष्ठ 85
2. SBCFAN 1 81/2003 R.H.C.
3. DNJ 2011 (3) Raj. H.C. P.N. 1066-1069
4. RRT 2019 (1) Raj. R.B. PP 116-118
5. DNJ 2016 (1) Raj. H.C. PP 1732-1735

विद्वान वकील प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वाद पत्र का निस्तारण विधिवत तथ्यों की सुनवाई साक्ष्य व विवादक बिन्दु कायम कर ही किया जावे, अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की –

1. 2019 (2) RRT 1045
2. 2016–17 (Supp) RRT 605
3. AIR 2002 Guhawati 32
4. AIR 1965 S.C. 338

उक्त उभयपक्षों की बहस तथा पेश की गई नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी0 मुख्यतः निम्न कारणों से पेश किया जाता है –

(क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।
(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।
(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्णित है।
(ड). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।
(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

प्रस्तुत प्रकरण में मूल रूप से हमारे सम्मुख संहिता के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु 'घ' से ही विचारणीय है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने वादपत्र में कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा भूमि का पेश किया गया है। वाद पत्र पेश करते समय भूमि आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुई थी। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी उक्त विवादित आराजी में 0.0150 है0 भूमि वाणिज्यिक व 0. [illegible] है0 भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ है। जिसके ख.न. भी 1466/1 व 1466/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके है। वादीगण द्वारा वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 88, 53, 188 खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो कि कृषि भूमि से सम्बन्धित भूमि का ही वाद पत्र पेश किया जा सकता है। विवादित आराजी में 600 वर्गमीटर भूमि एन.एच.ए.आई. द्वारा अवाप्ति किये जाने से भी तथा वक्त वाद दायरी के समय में भी भूमि कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन हो चुकी है [illegible] सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय हाजा को नहीं है । अतः प्रकरण न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं [illegible] अप्रार्थी/वादी के द्वारा वाद पत्र विधि विरूद्ध पेश किया जाना साबित होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है तथा वादी को हिदायत दी जाती है कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके अनुतोष प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(सुरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 47 / 2017

उनवान

1. [illegible] कुरैशी
2. [illegible] कुरैशी
3. [illegible] कुरैशी

} पि0 इकराम कुरैशी जाति मुसलमान नि. सारवान मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. अब्दुल शरीफ कुरैशी
2. अब्दुल सईद कुरैशी

} पि0 नजीर कुरैशी जाति मुसलमान नि. नि. सारवान मौहल्ला ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन जिला कलक्टर, (कोटपुतली) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सं. 8 कोटपुतली जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक 03.10.2019

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है तथा वादी को हिदायत दी जाती है कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके अनुतोष प्राप्त करें।

अन्तिम डिक्री आज तारीख 03.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	